तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	[illegible]

Signature Not Verified

Digitally signed by Sanjay Kumar Gora
Date: 2022.06.24 11:27:03 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

30-3-21

पत्रावली आदेश हेतु पेश हुई। वकील उभय पक्ष उप०। प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील प्रविष्ठ लेख आगार हो एवं मूल वाद के संलग्न हो।

उपखण्ड अधिकारी
चूरू (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjay Kumar Gora
Date: 2022.06.24 11:27:03 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

(2)

ायालय उपखण्ड अधिकारी दौसा

ीन अधिकारी का नाम :– संजय कुमार गोरा (आर.ए.एस)

ाई0 संख्या :– 52 / 2019

दिनाकं :– 23.12.2019

य दिनांक :– 30.03.2021

उनवान

चन्द पुत्र रामदेव जाति बैरवा निवासी ग्राम जीरोता खुर्द तहसील दौसा जिला
ा

(प्रार्थी)

बनाम

कमलेश पत्नि सतीश जाति बैरवा निवासी जीरोता खुर्द तहसील दौसा हाल सरपंच ग्राम पंचायत खुर्द जीरोजा खुर्द तहसील दौसा

अजीमखान संचिव ग्राम पंचायत जीरोता खुर्द तहसील दौसा

सतीश पुत्र किशनलाल जाति बैरवा निवासी जीरोता खुर्द तहसील दौसा जिला दौसा

(अप्रार्थीगण)

उपस्थिति :– 1 श्री रामकेश बैरवा अधिवक्ता प्रार्थीगण

2 श्री जगजीवन राम बैरवा अधिवक्ता अप्रार्थीगण

Signature Not Verified

Digitally signed by Sanjay Kumar Gora
Date: 2022.06.24 1?:27:03 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

(3)

प्रार्थना–पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा

उक्त प्रकरण मे संक्षिप्त वृतान्त इस प्रकार है की प्रार्थी की आराजी खसरा नम्बर 295 रकबा 1.19 है0 खसरा नम्बर 525 रकबा 0.09 है0 खसरा नम्बर 526 रकबा 0.89 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 2.17 है0 भूमि स्थित है। उक्त भूमि प्रार्थी के कब्जे काश्त की खातेदारी की भूमि है जिस पर प्रार्थी काबिज रह कर काश्त करता चला आ रहा है। अप्रार्थीगण का प्रार्थी की उक्त खातेदारी भूमि से किसी का कोई ताल्लुक व वास्ता नही है, परन्तु अप्रार्थी न0 1 वर्तमान में ग्राम पंचायत का सरपंच है व अप्रार्थी न0 3, अप्रार्थी न0 1 का पति है, जो प्रार्थी से चुनावी व राजनैतिक रंजिश रखते है तथा येन–केन प्रकारेण प्रार्थी को नुकसान पहुँचाने की फिराक मे रहते है। इसी कारण से अप्रार्थीगण, प्रार्थी की खातेदारी भूमि में होकर नाला खुदवाकर पुख्ता नाले का निर्माण करने को आमादा है जिसका उनको कोई कानूनी अधिकार नही है, क्योकि विवादित भूमि प्रार्थी की खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि है।

दिनांक 18.12.2019 को अप्रार्थीगण अधीनस्थ कर्मचारियों व मजदूरो को लेकर विवादित भूमि पर आये और जबरन नाले की खुदाई करने लग गये। प्रार्थी व अन्य लोगो के द्वारा उस समय विरोद्ध करने पर वापिस चले गये, फिर भी एलानिया धमकी दी गई कि हम ताकत के बल पर तुम्हारी भूमि मे ही होकर पुख्ता नाले का निर्माण करेगे, इसलिए बिनाय दावा पैदा होकर दावा करना लाजिम आया।

प्रार्थीगण अपनी इस नाजायज कार्यवाही में व नाला निर्माण करने मे कामयाब हो गये तो प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी तथा प्रार्थी की भूमि बर्बाद हो जावेगी। प्रार्थी का प्रथम दृष्टया केस स्पष्ट प्रमाणित है, सुविधा की तुला भी प्रार्थी के पक्ष में है।

प्रार्थी ने प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र पेश कर निवेदन किया है कि अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द फरमावे कि वे स्वंय अथवा अपने कर्मचारियों, कारीगरो व मजदूरो के द्वारा प्रार्थी की भूमि खसरा नम्बर 295,525,526 कुल रकबा 2.17 है0 वाके ग्राम जीरोता खुर्द के किसी भी भाग व हिस्से मे होकर कोई भी खाम या पुख्ता नाला का निर्माण नही करने व प्रार्थी के कब्जे काश्त, उपयोग उपभोग मे किसी भी प्रकार से दखलदांजी नही करने व मौके की यथावत स्थिति बनाये रखने हेतु निवेदन किया है।

प्रार्थी के द्वारा उक्त प्रार्थना–पत्र स्थाई निषेधाज्ञा पेश करने पर प्रकरण को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की जरिये सम्मन के तलवी की गई। अप्रार्थीगण की ओर से श्री जगजीवनराम अधिवक्ता के द्वारा पावर एवं जवाब टी0 आई0 पेश किया है जिसमे अंकित किया गया है की अप्रार्थीगण ने प्रार्थी वादी की कृषि भूमि में किसी प्रकार का कोई नाले का निर्माण नही किया है बल्कि [illegible] यह है कि दिनांक 28.01.2020 को ग्राम जीरोता कलां में गै0मु0 रास्ता की [illegible] में [illegible] पैमाइश करवा कर नाले का निर्माण करोया है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Sanjay Kumar Gora
Date: 2022.06.24 11:27:03 IST
Reason: SelfAttested

अधिकारी (तह.)

Scanned with CamScanner

अप्रार्थीगण ने खसरा नम्बर 624 गै0मु0 रास्ता में ही सार्वजनिक उपयोग के लिए नाले निर्माण कराया है। नाले का निर्माण हो चुका है, इसलिए भी वाद व प्रार्थना–पत्र चलने योग्य नहीं है।

प्रार्थी के प्रार्थना–पत्र को मय हर्जा खर्चा खारिज करने हेतु निवेदन किया है। अप्रार्थीगण के द्वारा जवाब टी0आई0 पेश करने पर प्रकरण को बहस हेतु नियत किया गया।

उभयपक्षों के वकीलो की बहस सुनी गई। पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया। उभयपक्षों के वकीलो की बहस पर मनन किया गया। उक्त कार्य व्यक्तिगत हैसियत से नही करवाया गया था बल्कि सम्बन्धित ग्राम पंचायत के द्वारा करवाया गया था। अप्रार्थीगण वर्तमान मे सरपंच पद पर नही है। प्रार्थना–पत्र में वर्णित कार्य पूर्व में ही पूर्ण हो चुका है। अतः उक्त प्रार्थना–पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज किया जाता है। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमिल प्रविष्ट लेख भण्डार हो तथा मूल वाद के संलग्न हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया तथा मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया।

संजय कुमार गोरा (आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी
[illegible]

Signature Not Verified

Digitally signed by Sanjay Kumar Gora
Date: 2022.06.24 11:27:03 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner